न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—143/2019/225 आर.टी.एक्ट (2019/00143)

1. कमलेश कुमार पुत्र भंवरलाल खींचा, जाति जैन, निवासी खींचा भवन भंवर वाडी, विजयनगर तहसील विजयनगर जिला अजमेर हाल निवासी डी0डी साथे मार्ग, मुम्बई महाराष्ट्र।

अपीलांट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र सुवा लाल जेदिया, निवासी विजयनगर तहसील विजयनगर, जिला अजमेर।
2. श्रीमती मंजूदेवी पुत्री लादू लाल बलाई, निवासी विजयनगर तहसील विजयनगर जिला अजमेर।
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार विजयनगर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, उपखण्ड अधिकारी , मसूदा विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.04.2018 राजस्व वाद संख्या 30/2017

उपस्थितः—

1. श्री अजीत लोढा, गिरीश पारीक अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शिवप्रकाश अभिभाषक, रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. श्री नितिन वर्मा अभिभाषक, रेस्पोडेंट संख्या 02.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंटस संख्या 03.

निर्णय

दिनांकः—12.12.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा प्रकरण संख्या 30/2017 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर मौजूदा अपीलांट व अन्य विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। परंतु प्रेषित नोटिस मौजूदा अपीलांट पर सम्यक रूप से तामिल नहीं हुए। कालांतर में विपक्षीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजूदा अपीलांट काफी तलाश करने के उपरांत सही पता ज्ञात नहा हो पा रहा है, इस कारण उनकी तलबी दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में कराई गई एवं उक्त आधार पर मौजूदा अपीलांट को नोटिस तामिल मानते हुए दिनांक 22.02.2018 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही संस्थापित की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा अपने आदेश दिनांक 6.4.2018 के द्वारा मौजूदा अपीलांट की खेत खातेदारी के खसरा संख्या 2147 में से बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बगैर रास्ता कायम कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा प्रकरण संख्या 30/2017 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि प्रार्थी के पास दिनांक 15.03.2019 को तहसील मसूदा से किन्ही कार्यालय कर्मचारी का मुम्बई में उक्त आपत्ति के बाबत किए गए पत्राचार में अंकित मोबाईल नम्बर के आधार पर उसके मोबाईल नम्बर पर फोन किया गया और आकर चेक लेकर जाने हेतु कहा गया एवं इस संबंध में उसे बताया गया कि उसकी आराजीयात के बाबत कोई रास्ते का प्रकरण अभिनिर्णीत हुआ है जिस पर प्रार्थी द्वारा इस संबंध में जानकारी के अभाव में अनभिज्ञता प्रकट की गई। चूंकि प्रार्थी के पास इस संबंध में कोई नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया था न ही रास्ते के बाबत लंबित प्रकरण की प्रार्थी को कोई जानकारी थी। प्रार्थी दिनांक 27.03.2019 को उपखण्ड अधिकारी मसूदा के कार्यालय में आया एवं उसके प्राप्त सूचना के आधार मालुमात की तो उसे बताया गया कि उसके विरूद्ध खसरा नम्बर 2147 के बाबत रास्ते संबंधित कोई आदेश दिनांक 6.4.2018 को ही पारित कर दिए गए है जिस पर उसके द्वारा स्थानीय अभिभाषक से सलाह मशवरा किया गया। जिनके द्वारा उक्त आदेश की नकल आवेदन करने हेतु कहा गया जो कि उनके द्वारा की गई एवं नकल दिनांक 28.03.2019 को प्राप्त की गई व अभिभाषक द्वारा सारा प्रकरण प्रार्थी को समझाया गया। तत्पश्चात प्रार्थी दिनांक 29.03.2019 को अजमेर आया एवं अभिभाषक को उक्त आदेश की नकल सुपूर्द की एवं अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कहा गया जिस पर अभिभाषक द्वारा प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण फाईल लाने हेतु कहा गया, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा अपने निकट रिश्तेदार को उपखण्ड अधिकारी मसूदा की सम्पूर्ण फाईल निकलवाने हेतु कहा गया एवं वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख 31.03.2019 होने के कारण प्रार्थी को अपने काम के सिलसिले में मुम्बई प्रस्थान करना पड़ा। प्रार्थी दिनांक 11.04.2019 को पुनः अजमेर आया एवं अभिभाषक द्वारा समस्त कागजात लाकर उन्हें सुपूर्द कर दिए उक्त कागजातों के आधार पर अपील तैयार करवाकर माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.04.2019 को प्रस्तुत की गई। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि दिनांक 1.11.2017 को विपक्षीगण संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया की मौजूदा अपीलांट व विपक्षी संख्या 2 काफी तलाश करने के उपरांत सही पता ज्ञात नहीं हो पा रहा है। इस कारण उन पर दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में प्रकाशित कर प्रकाशन अखबार में कराए जावे। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रार्थना पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कर दिया गया। उक्त समाचार पत्र में प्रकाशन के तथाकथित आधार पर मौजूदा अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 22.2.2018 को एकतरफा कार्यवाही सम्पादित करते हुए प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने अपने आदेश में यह माना कि ग्राम साथाना पटवार हल्का साथाना की जमाबंदी सम्वत 2069–72 के खाता संख्या 57 में वर्णित खसरा नम्बर 2148 रकबा 5 बीघा किस्म 3 प्रार्थी ओमप्रकाश वल्द सुवालाल के हिस्से में 99/100 तथा अप्रार्थी संख्या 3 श्रीमती मंजूदेवी पुत्री लादूलाल के हिस्से में 1/100 खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2069–72 के खाता संख्या 1000 में वर्णित खसरा संख्या 2151 रकबा 04–19–00 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2069–72 के खाता संख्या 455 में वर्णित खसरा संख्या 2146/1 रकबा 09–10–00, 2147 रकबा 10–10–00, 2152/3 रकबा 01–07–00, 2152/4 रकबा 02–09–10 कुल किता 4 कुल रकबा 23–16–10 कमलेश कुमार वल्द भंवरलाल खींचा कौम जैन सा0 भंवर वाडी विजयनगर के नाम खातेदारी में अंकित है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ते की भूमि अधिकांश खसरा नम्बर 2147 में से ही प्रस्तावित है तथा जो खसरा नम्बर 2151 गै0मु0 रास्ते की भूमि में मिलती है, जो आगे जाकर सड़क पर मिल रही है। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 2152/3 की भूमि में से रास्ता दिए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। परंतु उनके द्वारा विधि विपरीत तौर पर प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर 2147 में से विधि विपरीत तौर पर विपक्षीगण को रास्ता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। अपीलांट की खातेदारी के खसरा संख्या 2147 में से ग्राम साथाना पटवार हल्का साथाना के खसरा संख्या 2147 रकबा 10–10–00 किस्म बारानी 3 में से अधिकतम 20 फीट चौडाई का रास्ता गै0मु0 पाल के लगते हुए जिसका कुल रकबा 00–15–00, बनता है, को सिंचायचक आम रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार विजयनगर को दिए जाते है। उक्त खसरा संख्या 2147 में से रास्ते हेतु प्रभावित रकबा 00–15–00 को पृथक से बटा नम्बर अंकित करते हुए तथा मूल खसरा संख्या 2147 में से उक्त रास्ते का रकबा कम करते हुए राजस्व रिकार्ड में इंद्राजात किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त भूमि पर डी0एल0सी0 दर 117000–प्रतिबीघा अनुसार 00–15–00 भूमि की कुल राशि 87750 रूपए बनती है एवं जिसकी दुगनी राशि रूपए 175500 बनती है उक्त राशि रूपए 175500 अप्रार्थी संख्या 1 को नियमानुसार अदा की जावे। उक्त राशि अदा किए जाने पश्चात उक्त रास्ते की भूमि को आम रास्ता सिंचायचक राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जावे तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावें। जिस पर समस्त व्यक्ति आने–जाने हेतु उपयोग कर सकेंगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्यात्मक व विधिक स्थिति पर लेशमात्र भी गौर नहीं किया गया कि उक्त मौका रिपोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तसीलदार विजयनगर से तलब की गई थी, वह रिपोर्ट उनके स्वयं द्वारा नहीं बनाई गई अपितु उनके द्वारा हल्का पटवारी को पत्र क्रमांक 111 दिनांक 16.01.2018 प्रेषित कर मौके की तथ्यात्मक व मौका रिपोर्ट मंगाई है जिस पर पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार को पुनः उक्त पत्र क्रमांक के संबंध में पत्र प्रतिप्रेषित कर अपनी मौका रिपोर्ट भेजी गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि किसी भी सरकार महकमे के कर्मचारी को यह कानूनी अधिकार नहीं है कि जो शक्तियां उसे डेलीगेट की गई है, वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

डेलीगेट नहीं कर सकता है। रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार बिजयनगर द्वारा नहीं बनाकर पटवारी हल्का से बनवाई गई थी, जो विधिक प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व प्रकरण संख्या 30/2017 में पारित उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 06.04.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि मौजा सथाना पटवार हल्का सथाना तहसील बिजयनगर में खसरा नम्बर 2148 रकबा 5 बीघा किस्म बारानी–3 स्थित है, उक्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है, तथा उक्त सहखातेदार श्रीमति मंजूदेवी व प्रार्थी संख्या 1 के मध्य आपस में संधि है उक्त भूमि अप्रार्थी की खातेदारी है, जिसमें अरसा दराज से आने जानें हेतु मुख्य सडक खसरा नम्बर 2151 से प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि आराजी खसरा नम्बर 2147 की दक्षिणी सीमा जो सरकारी पाल से लगते हुए होकर आते जाते है, तथा इसी रास्ते से अप्राथी अपनी कृषि भूमि में फसल काश्त करने फसल लाने लेू जाने हेतु ट्रेक्टर बेलगाड़ी व अन्य संसाधनों का उपयोग करते है, अप्रार्थी के पास उपरोक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के खसरा नम्बर 2147 में से आने जाने पर प्रार्थी राजस्व अभिलेख जमाबंदी मानचित्र में रास्ता अंकित नहीं होने के कारण आए दिन बाधा उत्पन्न करते रहते है। अप्रार्थी दिनांक 9.6.2017 को अपनी उपरोक्त खातेदारी की भूमि में काश्त व हकाई करने के लिए टेक्टर लेकर गै0मु0 रास्ता खसरा संख्या 2151 से प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2147 में दक्षिणी मेढ़ जो की सरकारी पाल से लगती हुई है पर होकर जाने लगे तो प्रार्थी संख्या 1 ने मौके पर आकर मना कर दिया तथा अप्रार्थी को उपरोक्त रास्ते से आने जाने से ही इंकार कर दिया इस कारण अप्रार्थी ने रास्ते हेतु नियमानुसार शुल्क जमा कराने बाबत कथन किए है एवं रास्ता दिलाए जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, विजयनगर ने कथन किए कि उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को यदि रास्ता दिया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है तथा मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खेत पर आने–जाने का रास्ता अन्य खसरा नम्बर 2149 रकबा 2.05 है. गैरमुमकिन पाल से हो सकता है लेकिन मौके पर पाल के स्थान पर विलायती बबूल है एवं मौके पर कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2148 से मुख्य सड़क नेशनल हाईवे 79 तक पहुँचने के लिए खातेदारी खसरा नम्बर 2147, खसरा नम्बर 2151 गै.मु. राजस्व तथा खसरा नम्बर 2152/3 की भूमियॉ आती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से ऐसी स्थिति में उपरोक्त कारणों से अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम का स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

9. प्रकरण पर गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि आवेदक/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वंय एवं रेस्पो0 संख्या 2 की सहखातेदारी की आराजी खसरा नंबर 2148 रकबा 5 बीघा में आवागमन हेतु अप्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2147 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा की दक्षिणी सीमा जो सरकारी पाल से लगते हुए होकर आन–जाने हेतु रास्ते का अनुतोष चाहा । उक्त प्रकरण परीक्षण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/अपीलांट को सम्मन/नोटिस जारी किए किन्तु अप्रार्थी/अपीलांट के सही पते के नोटिस पेश नहीं किये जाने से अपीलांट की जरिये अखबार में नोटिस साया करवाकर तामील करवाई गई है । तत्पश्चात् परीक्षण न्यायालय ने रास्ते बाबत् तहसीलदार, बिजयनगर से मौका रिपोर्ट पत्र कमांक 4 दिनांक 1.1.2018 से तलब की जिस पर तहसीलदार ने उक्त पत्र को मूल ही कमांक 111 दिनांक 16.1.2018 को भू–अभिलेख निरीक्षक,बिजयनगर को भेजकर प्रकरण में जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है । इस संबंध में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार न की जाकर प्रशिक्षु पटवारी हल्का बिजयनगर द्वारा तैयार कर तहसीलदार को भिजवाई गई । तत्पश्चात् तहसीलदार ने अपने पत्र कमांक 378 दिनांक 16.3.2018 द्वारा परीक्षण न्यायालय को भिजवाई है । पटवारी हल्का की उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने आदेश दिनांक 6.4.2018 को पारित कर आवेदक/अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थन पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राज0काश्त0अधि0, 1955 स्वीकार कर रास्ते के आदेश पारित किये है। धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के नियम 69 में प्रावधान किया हुआ है कि "रास्तों के मामलों में मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार नहीं की जा सकती है।" हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्वंय द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई है, इसलिये पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त अपीलांट का यह भी कथन है कि उसे समुचित तामील नहीं करवाई जाकर एकतरफा में निर्णय पारित किया गया है जिसकी पुष्टि परीक्षण न्यायालय की आदेशिकाओं से होती है । उपरोक्त विवेचन के कम में हम अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथा तहसीलदार स्वंय द्वारा मौके का निरीक्षण करवाया जाकर, प्रकरण का पुनः परीक्षण कराया जाना उचित समझते है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 30/2017 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे विवादित रास्ते के संबंध में स्वंय तहसीलदार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट तलब करें तथा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्ति का निस्तारण करें। पक्षकारान को जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसार देने पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.01.203 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर रो कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर